



तृतीय लिंग की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुन्द जिले के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में तृतीय लिंग की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुन्द जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र अनुभवजन्य एवं प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन हेतु कुल 45 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची, उपकरण एवं अवलोकन प्रविधि का उपयोग किया गया है। प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हिजड़ा/किन्नर या ट्रांसजेन्डर जो हमारे समाज के लिए खुशियों की दुआ करता है, ताकि उनका पेट भर सके। लेकिन अफसोस हमारा समाज इन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है और उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। समाज में इन्हें सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है।

डॉ. जया ठाकुर

परमात्मा से उपेक्षित शारीरिक विकलांगता से ग्रसित यह इन्सान पुरुष और महिला वर्ग में न होने के कारण बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर है। यही एक ऐसा वर्ग है, जिसे परिवार से लेकर बाजार तक कहीं कार्य नहीं दिया जाता। समाज इन इन्सानों का मजाक उड़ाता है।

समाज में स्त्री और पुरुष के अलावा एक और इंसान है, जिसे हमारा समाज मनुष्य तो मानता है, लेकिन उसे समाज में आज भी स्वीकार्यता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल वर्ष 2014 में ट्रांसजेन्डर या किन्नरों को तृतीय लिंग का दर्जा दिया तो उन्हें खुशी थी कि अब वे भी एक सामान्य महिला, पुरुषों की तरह जीविका चला सकेंगे तथा सामाजिक गतिविधियों में महिला, पुरुषों की तरह उन्हें भी बराबर का सम्मान मिलेगा। लेकिन प्रशासनिक पहल की कमी होने के कारण यह बात खोखली साबित हुई।

किन्नर समाज, जो हमारे समाज के लिए खुशियों की दुआ करता है, ताकि उनका पेट भर सके पर अफसोस लोगों के लिए दुआ करने वाले इसी किन्नर समाज को हमारा समाज घृणा से देखता है, और दूरी बनाने की कोशिश करता है।

पहले किसी जमाने में नवाबों सुल्तानों ने इन्हें सिर्फ हरम की चौकीदारी के लिए योग्य पाया था, फिर ये लोग सिर्फ नाच गा कर अपना पेट पालते थे, किन्तु आज जब समय के साथ इनके यह दोनों काम खत्म हो गए। अब जब दूसरों की खुशियों-शादी विवाह, बच्चों का जन्म जैसे मौकों पर अपना पारम्परिक कार्य नाच गाने का आयोजन करने का प्रयत्न करते हैं, तो समाज के लोगों को लगता है कि धन उगाहने के लिए, ये अनचाहे मनहूस लोग क्यों आ गए हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

(1) तृतीय लिंग की सामाजिक स्थिति ज्ञात करना।

(2) तृतीय लिंग की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना।

उपकल्पना :

समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर सामाजिक, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी एवं सम्मान प्राप्त होगा।

अध्ययन पद्धति :

अध्ययन हेतु महासमुन्द जिले का चयन किया गया है। कुल 90 उत्तरदाताओं में से 45 (50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा किया गया। महासमुन्द, बागबाहरा, बसना ब्लॉक में इनकी संख्या सर्वाधिक है।

तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची उपकरण का प्रयोग किया गया।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

सारिणी क्र 1 : उत्तरदाताओं की आयु

क्र०	आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	20 से 30 वर्ष	18	40.00
2.	31 से 40 वर्ष	24	53.30
3.	40 वर्ष से अधिक	03	06.67
	योग	45	100.00

सारिणी क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 24 (53.33 प्रतिशत) उत्तरदाता 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग के एवं 03 (6.67 प्रतिशत) 40 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं।

सारिणी क्र 2 ज्ञात होता है कि अधिकांश 23 (51.11 प्रतिशत) उत्तरदाता अशिक्षित हैं, 01 (2.22 प्रतिशत) स्नातक एवं 01 (2.22 प्रतिशत) ने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की है।

सारिणी क्र 3 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 42 (93.33 प्रतिशत) उत्तरदाता हिन्दू एवं 01 (2.22 प्रतिशत) ईसाई हैं।

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

सारिणी क्र 2 : उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति

क्र०	शैक्षणिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	23	51.11
2.	प्राथमरी	12	26.67
3.	हाईस्कूल	05	11.11
4.	हायरसेकेंडरी	03	06.67
5.	स्नातक	01	02.22
6.	स्नातकोत्तर	01	02.22
	योग	45	100.00

सारिणी क्र 3 : उत्तरदाता का धर्म

क्र०	धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हिन्दू	42	93.33
2.	मुस्लिम	02	04.45
3.	सिख	—	—
4.	इसाई	01	02.22
5.	जैन	—	—
	योग	45	100.00

सारिणी क्र 4 : वैवाहिक स्थिति

क्र०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अविवाहित	45	100.00
2.	विवाहित	—	—
	योग	45	100.00

सारिणी क्र 4 से स्पष्ट है कि सभी उत्तरदाता 45 (100 प्रतिशत) अविवाहित हैं।

सारिणी क्र 5 : विवाह करने की चाह

क्र०	विवाह करने की चाह	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	है	18	40.00
2.	नहीं है	27	60.00
	योग	45	100.00

सारिणी क्र 5 से ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता 27 (60 प्रतिशत) विवाह करना नहीं चाहते, किन्तु 18 (40 प्रतिशत) युवा उत्तरदाता विवाह करना चाहते हैं, उनका कहना है कि हम चाहते हैं, हमारा घर परिवार हो, किन्तु हमसे विवाह कौन करेगा।

उत्तरदाताओं का परिवार :

न इनका कोई भाई-बहन है, न कोई माँ-बाप, न ही कोई रिश्तेदार। वो यह है कि कोई इनके बारे में बात तक नहीं करना चाहता। आपस में मिलजुल कर, समूह बनाकर रहते हैं।

सारिणी क्र 6 : उत्तरदाताओं का परिवार

क्र०	परिवार के साथ रहते हैं	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	—	—
2.	नहीं	45	100.00
	योग	45	100.00

सारिणी क्र 6 ज्ञात होता है कि सभी 45 (100 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवार के साथ नहीं रहते, परिवार के साथ इनका कोई सम्बंध नहीं है।

सारिणी क्र 7 : समाज में सम्मान

क्र०	समाज में सम्मान	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मिलता है	02	04.45
2.	नहीं मिलता है	43	95.55
	योग	45	100.00

सारिणी क्र 7 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 43 (95.56 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को समाज में सम्मान नहीं मिलता, केवल 2 (4.44 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि समाज में सम्मान मिलता है।

सारिणी क्र 8 : उत्तरदाताओं का व्यवसाय

क्र०	व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नाच गाकर कमाना	13	28.89
2	ट्रेन में कमाना	32	71.11
3	अन्य	—	—
	योग	45	100.00

सारिणी क्र 8 से ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता 32 (71.11 प्रतिशत) ट्रेन में रूपये मांगकर कमाते हैं एवं 13 (28.89 प्रतिशत) दूसरों की खुशियों में नाच गाकर रूपये कमा लेते हैं।

सारिणी क्र 9 : उत्तरदाताओं की मासिक आय

क्र०	आय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	10 हजार से 20 हजार	16	35.56
2	21 हजार से 30 हजार	20	44.44
3	30 हजार से अधिक	09	20.00
	योग	45	100.00

सारिणी क्र 9 से ज्ञात होता है कि अधिकांश 20 (44.44 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की मासिक आय 21-30, हजार एवं 09 (20.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की मासिक आय 30, हजार से अधिक है।

निष्कर्ष :

आज भी तृतीय लिंग को समाज में सम्मान नहीं मिलता। यही एक ऐसा वर्ग है, जिसे परिवार से लेकर बाजार तक कहीं भी कार्य नहीं दिया जाता। इनका पूरा जीवन अपने लिए रोटी और बुढ़ापे की बीमारियों के इन्तजाम करने के बरबाद हो जाता है। इनके पुर्नवासन के लिए अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर सम्मान प्राप्त होगा।

सन्दर्भ :

- (1) Elkins, Richard, Dave king (2006) : The Transgender Phenomenon, New York, Julian Press.
- (2) www.google.com
- (3) https://khabar.ndtv.com
- (4) नवभारत, दैनिक समाचार-पत्र, दि. 24 फरवरी 2016.
- (5) नवभारत, दैनिक समाचार-पत्र, दि. 06 मार्च 2016.
- (6) नवभारत, दैनिक समाचार-पत्र, दि. 24 सितम्बर 2016.
- (7) दैनिक भास्कर, दैनिक समाचार-पत्र, 2016.

